न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 58/2021

सुबेसिंह पुत्र ताराचन्द जाति जाट, निवासी कुहाड़वास, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

– अपीलान्ट–

–बनाम–

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बुहाना, जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट–

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम सुबेसिंह अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 121/2021 निर्णय दिनांक 28.07.2021

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश कुमावत, अधिवक्ता ————————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय – दिनांक 30.05.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.07.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुबेसिंह मुकदमा नम्बर 121/2021 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है – कि पटवार हल्का कुहाड़वास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 904/365 कुल रकबा 17.17 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चोब रकबा 0.22 हैक्टर बंजड़–2 कुल रकबा 16.95 हैक्टर भूमि में से 0.07 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने नियत तारीख पेशी पर जवाब [illegible] तथा तहसीलदार खेतड़ी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जारी पट्टा प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दिनांक 28.07.2021 को अपीलान्ट को को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया एवं अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित कर दिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है तथा अपीलान्ट के पास तहसीलदार खेतड़ी द्वारा जारी पट्टा है। विवादित भूमि पर करीब 100–150 परिवार आबाद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– पटवार हल्का कुहाड़वास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 904/365 कुल रकबा 17.17 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चोब रकबा 0.22 हैक्टर बंजड़–2 कुल रकबा 16.95 हैक्टर भूमि में से 0.07 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने नियत तारीख पेशी पर जबाब नोटिस तथा तहसीलदार खेतड़ी द्वारा जारी पट्टा प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दिनांक 28.07.2021 को अपीलान्ट को को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया एवं अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित कर दिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

तथा अपीलान्ट के पास तहसीलदार खेतड़ी द्वारा जारी पट्टा है। विवादित भूमि पर करीब 100–150 परिवार आबाद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 904/365 कुल रकबा 17.17 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चोब रकबा 0.22 हैक्टर बंजड़–2 कुल रकबा 16.95 हैक्टर भूमि में से 0.07 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कार्य कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में तहसीलदार खेतड़ी द्वारा जारी पट्टा व बिजली पानी के बिल प्रस्तुत किये है। अपीलांट का कथन है कि मौके पर काफी पुरानी आबादी है और करीब 100–150 घर आबाद है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन बंजड–2 है जो नियमन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर नही दिया गया है एवं अपने निर्णय दिनांक 28.07.2021 में विवादित भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे को नियमन योग्य नही माना है। विवादित भूमि नियमन योग्य क्यों नही है इसके बारे में निर्णय में कोई स्पष्ट फाईडिंग नही दी है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे के बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन बंजड–2 है, अपीलांट का कथन है कि मौके पर आबादी बसी हुई है। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पुराना पट्टा [illegible] प्रति प्रस्तुत की गई है। बिजली पानी के बिल प्रस्तुत किये गये है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपीलांट के जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई विवेचना अपने निर्णय में नहीं की गई है ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2021 उनवानी सरकार बनाम सुबेसिंह मुकदमा नम्बर 121/2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिपेषित की जाती है वे प्रकरण की पुनः सुनवाई कर स्वयं मौका निरीक्षण करे तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार के पुराने कब्जे के आधार पर नियमन/आवंटन संबंधी नियमों के परिप्रेक्ष्य में पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.5.2022
अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested